प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर।

सेवा ∙में,

प्रबन्धक, सेन्ट मैरी सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल जनपद— रामपुर।

पत्रांकः प्रा0वि0मा0(अंग्रेजी माध्यम) / 1240 | /2020-21 दिनांकः 66-02 2020 | विषयः विद्यालय को प्राथमिक स्तर की(कक्षा 1-5) तक की अंग्रजी माध्यम की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 01.02.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे अधोहरताक्षरी कक्ष में आहूत जिला मान्यता समिति (प्राईमरी स्तर) की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या—89/ अरसठ—3—2018—2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग—3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या—196/अरसठ—3—2020—2041/ 2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग—3 लखनऊ दिनांक 29 जून 2020 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अर्न्तगत आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की(कक्षा 1—5) तक की अंग्रेजी माध्यम की मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए निम्न प्रतिबन्धो/शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

1. कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षण के लिए उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली—2011 की धारा—6 के प्रस्तर—15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/ अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए

कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु एक शिक्षक उपलब्ध हों।

2. विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए

संचालित नहीं किया जायेगा।

3. भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय—समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया—कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम

दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

5. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी द्वारा

निरीक्षण किया जा सकेगा।

6. बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय / मण्डलीय / राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मागें जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. विद्यालय द्वारा पंजीकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों

से लेना वर्जित है।

8. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुक्र मिलाकर उतना मासिक शुक्र मिलाकर उतना मासिक अध्यापकों / कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने ATTESTED BY

Manager
St. Mary's Senior Secondary School
Rampur (U.P.)

Page 61

Principal
St. Mary's Senior Secondary School
Rampur (U.P.)

के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शूल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

9. मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करेगें।

10. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यकम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाये। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन पाठन न कराया जाये और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्य किये जाने हेतु छात्रों पर बबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर क्य हेतु बाध्य किया जाये, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

11. प्राथमिक स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये जिनके बैठने की

समुचित व्यवस्था हो।

12. विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एंव विधि सम्मत प्रकिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत सक्षम अधिकारी से निर्गत एन०बी०सी० प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र, विद्यालय के कक्षा-कक्षों एवं भवन आदि की माप, बालक-बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था तथा पीने के पानी एवं साफ-सफाई आदि से सम्बन्धित पत्राजातों / सूचनां का सत्यापन कराये जाने पर तथ्यगोपन / अनियमित्ता /कूटरचना एवं मान्यता की शर्तो में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य संज्ञान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।

> (ऐश्वर्या लक्ष्मी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्रामपुर।

पृ०सं० / प्रा०वि०मा०(अंग्रेजी माध्यम) / / 2020—21 दिनांक उक्तवत। प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।

2. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर।

3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपूर।

- 5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर।
- 6. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, रामपुर।
- 7. वरिष्ठ खण्ड शिक्षा अधिकारी जनपद-मुख्यालय, रामपुर।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद—रामपुर।

9. गार्ड पत्रावली।

जिला बेंसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर।

ATTESTED BY

ATTESTED BY

NEW MANYTA

MEM MONINALLY Manager St. Mary's Senior Secondary School Rampur (U.P.)

Page 62



Office of the District Basic Education Officer RAMPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

	cognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number alloted
	s 12392. The applicable terms and conditions of the recognition of your
school is annexed.	The applicable terms and conditions of the recognition of your
2. DATE OF ISSUE	23-11-2024(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	
DATE:- 23-11-2024	District Basic Education Officer
PLACE:- RAMPUR	Digitally signed by Raghvendra Singh Date: 2024.11.23 18:42:43 Reason: For Digital Signature Location: RAMPUR

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in